अध्याय-I
परिचय एवं लेखापरीक्षा की रुपरेखा

अध्याय–I

परिचय एवं लेखापरीक्षा की रुपरेखा

1.1 परिचय

2011 की जनगणना के अनुसार, बिहार में ग्रामीण घरों में 2.60 प्रतिशत और शहरी घरों में केवल 20 प्रतिशत को ही नल के जल की सुविधा उपलब्ध थी। पेयजल की आवश्यकता की पूर्ति हेतु, राज्य का अधिकांश भाग भूमिगत जल पर निर्भर था, जबकि ग्रामीण परिवार मुख्य रूप से चापाकल के उपर निर्भर था। इसके अलावा राज्य के 38 जिलों में से 13[1] जिले निर्धारित मानकों से अधिक मात्रा में आर्सेनिक की उपस्थिति से प्रभावित थे, 11[2] जिलों में फ्लोराइड की अत्यधिक मात्रा और 11[3] जिलों में लौह तत्व की अधिकता पाई गई। कुल मिलाकर[4], राज्य के 28[5] जिले, जल में विभिन्न प्रदूषकों की उपस्थिति के कारण जल गुणवत्ता की दृष्टि से प्रभावित थे, जिससे इन क्षेत्रों के स्वास्थ्य तथा सामान्य विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था।

भूजल के प्रदूषण के स्तर के आधार पर, राज्य के जिलों को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (लो.स्वा.अभि.वि.) द्वारा या तो गुणवत्ता प्रभावित जिले (जहाँ पानी में आयरन, फ्लोराइड और आर्सेनिक का उच्च स्तर पाया गया) या गैर–गुणवत्ता प्रभावित जिले (जहाँ पानी, ऐसी गुणवत्ता संबंधी समस्याओं से प्रभावित नहीं था) के रूप में नामित किया गया है। बिहार में गुणवत्ता प्रभावित और गैर–गुणवत्ता प्रभावित जिलों की स्थिति नीचे दिए गए **मानचित्र** में दर्शाई गई है:

---

1 *(i) बेगूसराय (ii) भागलपुर (iii) भोजपुर (iv) बक्सर (v) दरभंगा (vi) कटिहार (vii) खगड़िया (viii) लखीसराय (ix) मुंगेर (x) पटना (xi) समस्तीपुर (xii) सारण और (xiii) वैशाली।*

2 *(i) औरंगाबाद (ii) बांका (iii) भागलपुर (iv) गया (v) जमुई (vi) कैमूर (vii) मुंगेर (viii) नालंदा (ix) नवादा (x) रोहतास और (xi) शेखपुरा।*

3 *(i) अररिया (ii) बेगूसराय (iii) भागलपुर (vi) कटिहार (v) खगड़िया (vi) किशनगंज (vii) मधेपुरा (viii) मुंगेर (ix) पूर्णिया (x) सहरसा और (xi) सुपौल।*

4 *दो जिले (भागलपुर और मुंगेर) तीनों प्रकार के प्रदूषकों से प्रभावित थे और तीन जिले (बेगूसराय, कटिहार और खगड़िया) दो प्रकार के प्रदूषकों (आयरन और आर्सेनिक) से प्रभावित थे।*

5 *(i) औरंगाबाद (ii) अररिया (iii) बांका (iv) बेगूसराय (v) भागलपुर (vi) भोजपुर (vii) बक्सर (viii) दरभंगा (ix) गया (x) जमुई (xi) कटिहार (xii) कैमूर (xiii) खगड़िया (xiv) किशनगंज (xv) लखीसराय (xvi) मधेपुरा (xvii) मुंगेर (xviii) नालंदा (xix) नवादा (xx) पटना (xxi) पूर्णिया (xxii) रोहतास (xxiii) सहरसा (xxiv) समस्तीपुर (xxv) सारण (xxvi) शेखपुरा (xxvii) सुपौल और (xxviii) वैशाली।*

बिहार के गुणवत्ता प्रभावित और गैर–गुणवत्ता प्रभावित जिले

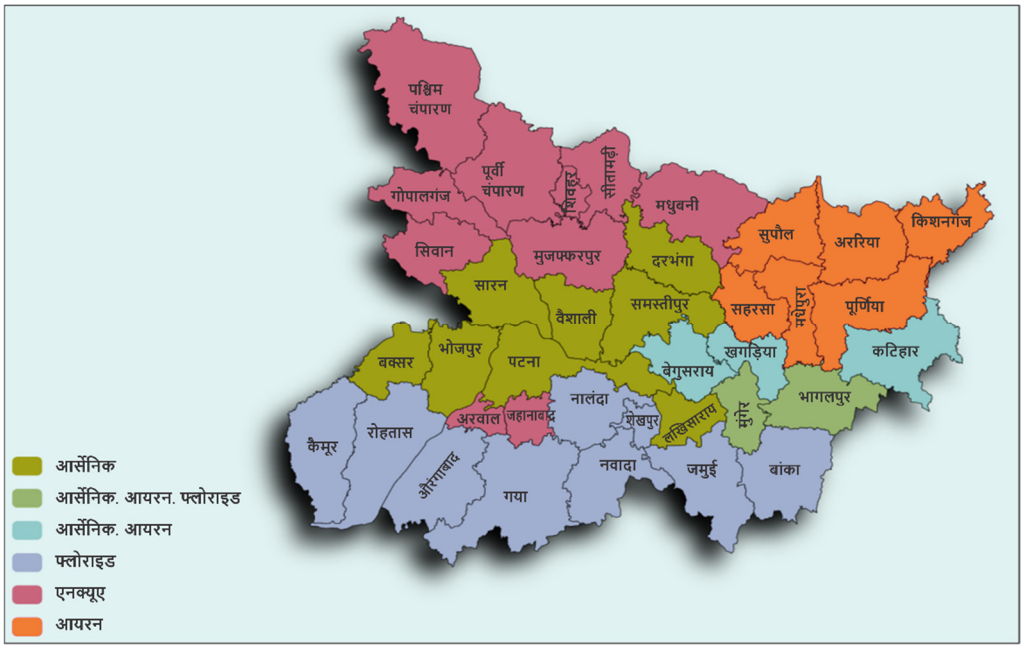

(स्रोतः लो.स्वा.अभि.वि. की लक्ष्य और उपलब्धि प्रतिवेदन)

जैसा कि ऊपर दिए गए मानचित्र से देखा जा सकता है, राज्य में आर्सेनिक, फ्लोराइड और आयरन जैसे विभिन्न प्रदूषकों की उपस्थिति के आधार पर 28 गुणवत्ता प्रभावित और 10 गैर–गुणवत्ता प्रभावित जिले थे (जुलाई 2018 तक)।

नल के पानी की पर्याप्त आपूर्ति के लिए बनाई गई हर घर नल का जल योजना को बिहार सरकार ने दिसंबर 2015 में राज्य सरकार के सुशासन कार्यक्रम के तहत अपने सात संकल्पों (सात निश्चय)[6] के भाग के रूप में शुरू किया था। इस विशिष्ट निश्चय का उद्देश्य वर्ष 2020 तक राज्य के हर घर को सुरक्षित पेयजल की पाइप से आपूर्ति प्रदान करना, जल जनित रोगों को कम करना और पीने के पानी के लिए चापाकल पर निर्भरता को समाप्त करना था।

इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 70 लीटर सुरक्षित पेयजल तथा शहरी क्षेत्रों में 135 लीटर स्वच्छ पेयजल प्रदान किया जाना था, ताकि पेयजल और अन्य घरेलू आवश्यकताओं जैसे खाना बनाना, स्नान करना, तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं के लिए पानी आदि की पूर्ति की जा सके।

बिहार सरकार ने हर घर नल का जल योजना या निश्चय के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित चार जल आपूर्ति योजनाओं की शुरूआत (दिसम्बर 2015) की गईः

- ***मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित वार्डों के लिए):*** यह योजना लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा उन ग्राम पंचायतों (ग्रा.पं.) के गुणवत्ता प्रभावित वार्डों में लागू की गई थी जहाँ पानी की गुणवत्ता निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में लोहे, फ्लोराइड और आर्सेनिक से प्रभावित थी। इस योजना के तहत सभी घरों को पाइपलाइन के माध्यम से सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति की जानी थी।
- ***मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना (गैर–गुणवत्ता प्रभावित वार्डों के लिए):*** यह योजना लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा उन गुणवत्ता प्रभावित ग्रा.पं. के वार्डों में लागू

[6] *बिहार सरकार के सात निश्चय (i) आर्थिक हल, युवाओं को बल (ii) आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार (iii) हर घर बिजली (iv) हर घर नल का जल (v) घर तक पक्की गली–नालियां (vi) शौचालय निर्माण, घर का सम्मान (vii) अवसर बढ़े, आगे पढ़े।*

की जानी थी, जहाँ जल की गुणवत्ता प्रभावित नहीं थी या जहाँ लो.स्वा.अभि.वि. पहले से ही निविदा प्रक्रिया के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की योजनाओं को लागू कर रहा था।

- ***मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजनाः*** यह योजना राज्य के गैर–गुणवत्ता प्रभावित ग्रा.पं. में पंचायती राज विभाग (पं.रा.वि.) द्वारा लागू की जानी थी। प्रत्येक वार्ड में इस योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया 'वार्ड कार्यान्वयन और प्रबंधन समितियों' (डब्ल्यू.आई.एम.सी.) के माध्यम से की जानी थी, जिसकी अध्यक्षता ग्राम पंचायतों के संबंधित वार्ड सदस्य द्वारा किया जाता था।
- ***मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजनाः*** यह योजना शहरी विकास एवं आवास विभाग (न.वि. एवं आ.वि.), बिहार सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों के सभी वार्डों में लागू की जानी थी, जिसे या तो शहरी स्थानीय निकायों (श.स्था.नि.) के माध्यम से या न.वि. एवं आ.वि. के नियंत्रण में कार्यरत, बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम (बुडको) के जरिए क्रियान्वित किया जाना था।

1.2 हर जल नल का जल योजना निश्चय के अंतर्गत परिवारों के आच्छादन पर विचार

हर घर नल का जल योजना मुख्यतः राज्य बजट और वित्त आयोग अनुदानों (केन्द्र तथा राज्य दोनों) से वित्तपोषित थी। इसके अलावा, केंद्र प्रायोजित योजनाओं जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल परियोजना (एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.), जल जीवन मिशन, नीर निर्मल परियोजना, अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) आदि की निधियों का उपयोग भी हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत जल आपूर्ति संरचनाओं के निर्माण में किया गया। हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत विभिन्न निधि स्रोतों से आच्छादित किए गए वार्डों का विवरण **तालिका 1.1** में दिया गया है।

तालिका 1.1: हर घर नल का जल योजना निश्चय के अंतर्गत आच्छादित वार्डों की विवरणी

क्र. सं.	क्रियान्वयन इकाई का नाम	कुल आच्छादित वार्डों की संख्या	निधियों के स्रोत	उल्लेखित निधियों के स्रोत के अंतर्गत आच्छादित वार्डों की संख्या
1	पंचायती राज विभाग	57,767	14वाँ एंव 5वाँ वित्त आयोग एंव राज्य बजट	57,767
2	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	55,922	राज्य योजना	51,213
			एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.	3,061
			नीर निर्मल परियोजना	1,648
3	नगर विकास एवं आवास विभाग	3,156	राज्य योजना	2,438
			अम्रुत	718

(स्रोतः विभागों के द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

1.3 संगठनात्मक संरचना

हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत जल आपूर्ति योजनाओं को ग्रामीण वार्डों में लो.स्वा.अभि.वि. और पं.रा.सं. द्वारा क्रियान्वित किया जाना था, जबकि शहरी वार्डों में इसे न.वि. एवं आ.वि. द्वारा लागू किया जाना था। राज्य सरकार ने लो.स्वा.अभि.वि. को सभी उपयोगकर्ता विभागों के लिए प्रमुख तकनीकी भागीदार के रूप में कार्य करने का निर्देश दिया। हर जल नल का जल योजना की विस्तृत संगठनात्मक संरचना **तालिका 1.2** में दर्शाई गई है:

तालिका 1.2: हर घर नल का जल योजना के लिए संगठनात्मक संरचना

स्तर	लो.स्वा.अभि.वि.	पं.रा.वि.	न.वि. एव .आ.वि
विभागीय स्तर पर	**लो.स्वा.अभि.वि.** का नेतृत्व प्रधान सचिव द्वारा किया जाता है और यह जल और स्वच्छता सेवाओं की आपूर्ति हेतु नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। यह विभाग हर घर नल का जल योजना के नीति निमार्ण, योजना तैयार करने तथा समन्वय और निगरानी के लिए उत्तरदायी है।	**पं.रा.वि.:** विभागीय स्तर पर योजना की निगरानी के लिए सचिव/प्रधान सचिव के अधीन एक राज्य स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण कोषांग की स्थापना की गई थी।	**न.वि. एवं आ.वि:** सचिव/प्रधान सचिव, उप सचिव की मदद से विभागीय स्तर पर योजना की निगरानी करते हैं।
जिला/नगर निकय स्तर पर	**जिला जल और स्वच्छता समिति–** यह समितियाँ जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित की गई थीं, जिनमें लो.स्वा.अभि.वि. के कार्यपालक अभियंता को सदस्य सचिव नियुक्त किया गया था। समिति जिल स्तर पर योजना से संबंधित परियोजनाओं के समन्वय, पर्यवेक्षण तथा समीक्षा के लिए उत्तरदायी थी।	**जिला जल और स्वच्छता समिति**–इन समितियों का गठन जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में किया गया था जिसमें जिल पंचायत राज पदाधिकारी सदस्य के रूप में शामिल थे। समिति योजना के निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण किए जाने के साथ साथ योजना की गुणत्ता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी थी।	**नगर पालिका बोर्ड**– जहां शहरी स्थानीय निकायों में योजनाओं की स्वीकृति के लिए नगर पालिका बोर्ड जिम्मेदार था, वहीं नगर आयुक्त/ कार्यपालक अधिकारी की जिम्मेदारी योजनाओं के विभिन्न घटकों की निगरानी और गुणवत्ता नियंत्रण की थी। नगर अभियंता योजनाओं के लिए प्राक्कलन तैयार करने और योजना की गुणवत्ता की निगरानी करने के लिए उत्तरदायी थे।
प्रमंडल/प्रखंड स्तर पर	**लोक स्वास्थ्य प्रमंडल** जिसका नेतृत्व एक कार्यपालक अभियंता द्वारा किया जाता है, प्रमंडल/प्रखंड स्तर पर योजनों के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी था।	**प्रखंड स्तर पर** योजना के क्रियान्वयन एवं निगरानी के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक प्रखंड स्तरीय निगरानी इकाई का गठन किया गया। प्रखंड पंचायती राज अधिकारी (बीपीआरओ) को एक सहयोगकर्ता के रूप में सहायता प्रदान करनी थी, जबकि मनरेगा के कनीय अभियंता को तकनीकी सहायता प्रदान करनी थी।	--
ग्राम पंचायत स्तर पर	**ग्राम पंचायत**– वार्डों की मंजूरी के बाद ग्रा.पं. जल आपूर्ति योजनाओं के चयन के लिए उत्तरदायी थी। ग्रा.पं. इन योजनाओं की निगरानी के लिए भी उत्तरदायी थी, जो इसके लिए गठित निगरानी समिति के माध्यम से की जाती थी।	ग्राम पंचायत को मुखिया के नेतृत्व में हर घर नल का जल योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी थी। डब्ल्यू.आई.एम.सी. के द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए मुखिया भी उत्तरदायी थे।	--

(स्रोतः संबंधित विभागों के योजना मार्गदर्शिका)

1.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादान लेखापरीक्षा निम्नलिखित उद्देश्यों की समीक्षा के लिए किया गया था कि क्याः

- 100 प्रतिशत परिवारों के आच्छादन तथा जलापूर्ति प्रणाली के निर्माण एवं अनुरक्षण हेतु योजना निमार्ण प्रक्रिया पर्याप्त एवं प्रभावी थी;

- योजना के क्रियान्वयन तथा संचालन एवं अनुरक्षण के संबंध में सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन सिद्धांतों का पालन किया गया;
- योजना के अनुसार पर्याप्त मात्रा एवं गुणवत्ता का जल उपलब्ध कराया गया तथा निर्धारित सेवा मानक प्राप्त किए गए; तथा
- योजना के क्रियान्वयन हेतु निगरानी एवं मूल्यांकन प्रणाली तथा गुणवत्ता नियंत्रण प्रभावी था।

1.5 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा निष्कर्षों का बेंचमार्क निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त मानदंडों के आधार पर किया गया:

- हर घर नल का जल योजना के लिए बिहार सरकार द्वारा जारी संकल्प, योजना कार्यान्वयन दिशानिर्देश, मॉडल प्राक्कलन, अनुसूचित दर पुस्तिका
- बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (समय–समय पर संशोधित)
- बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (समय–समय पर संशोधित)
- वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति (प्रबंधन संचालन) नियम, 2017
- बिहार वित्तीय नियमावली
- केंद्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन की नियमावली
- केंद्रीय भूजल बोर्ड का प्रतिवेदन
- बिहार लोक निर्माण लेखा संहिता
- हर घर नल का जल योजना के तहत ग्रामीण घरों को पाइप जलापूर्ति प्रदान करने हेतु जनवरी 2016 में लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा जारी विजन और स्ट्रेटेजी दस्तावेज
- तेरहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट में निर्दिष्ट सेवा स्तर मानक, जो भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किए गए हैं
- बिहार सरकार द्वारा 2011 में अधिसूचित नागरिक चार्टर
- अटल मिशन फॉर रीजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (अमृत) मिशन का वक्तव्य और दिशानिर्देश।

1.6 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली

निष्पादन लेखापरीक्षा का कार्यान्वयन जून से नवंबर 2023 के बीच पाँच वर्षों की अवधि (वर्ष 2017–18 से 2022–23 तक) के दौरान किये गये कार्यों की समीक्षा करने के लिए किया गया था। लेखापरीक्षा की कार्यप्रणाली में विभागीय स्तर पर पं.रा.वि., लो.स्वा.अभि. वि. आदि के प्रासंगिक अभिलेखों/दस्तावेजों की जांच शामिल थी, साथ ही जिला, प्रखंड, ग्राम पंचायत, नगर निकाय स्तर के अभिलेखों तथा बुडको[7] में उपलब्ध दस्तावेजों की भी समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त, पं.रा.वि., बिहार सरकार की वेबसाइट (पंचायत निश्चय सॉफ्ट पोर्टल[8]) और जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के जल जीवन मिशन का भी विश्लेषण किया गया।

अभिलेखों की जांच के अलावा, लेखापरीक्षित इकाइयों के अधिकारियों के साथ मिलकर 534 योजना स्थलों का संयुक्त भौतिक सत्यापन भी किया गया। इसके साथ ही,

---

[7] *बुडको, शहरी विकास एंव आवास विभाग का एक कार्यान्वयन अभिकरण है।*

[8] *पंचायत निश्चय सॉफ्ट पोर्टल का विकास पं.रा.वि. द्वारा योजनाओं की निगरानी और योजनाओं की भौतिक स्थिति की जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया था।*

हर घर नल का जल योजना के तहत लाभुकों को प्रदान की गई जल आपूर्ति सेवाओं के संबंध में प्रतिक्रियाएँ और जानकारी प्राप्त करने के लिए 2,283 लाभुकों का सर्वेक्षण भी किया गया।

लेखापरीक्षा नमूनाः राज्य के सभी घरों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल पाइप से उपलब्ध कराने के हर घर नल का जल योजना के प्रमुख उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए राज्य के 1,17,820 वार्डों में से 19,464 (17 प्रतिशत) वार्डों को शामिल करने वाले 12[9] चयनित जिलों की 62[10] क्रियान्वयन इकाइयों का चयन किया गया। विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए जिलों, प्रखंडों, ग्राम पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों के चयन हेतु प्रोबैबिलिटी प्रपोर्शन टू साइज (बिना प्रतिस्थापन के) नमूना विधि का प्रयोग किया गया।

इस निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए एक अंतर्गमन सम्मेलन 26 मई 2023 को आयोजित किया गया था, जिसमें लो.स्वा.अभि.वि. के मुख्य अभियंता–सह–विशेष सचिव, न.वि. एवं आ.वि. के अतिरिक्त सचिव और पं.रा.वि. के अतिरिक्त सचिव उपस्थित थे। इसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्य, दायरा, मानदंड और कार्यप्रणाली की विस्तारपूर्वक व्याख्या की गई। इसके बाद 18 अक्टूबर 2024 को संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बर्हिगमन सम्मेलन आयोजित किया गया। लो.स्वा.अभि.वि. और न.वि. एव आ.वि. द्वारा लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर विस्तृत प्रतिक्रिया (जून 2025) में प्रदान की गई, जिसे प्रतिवेदन में उचित रूप से शामिल कर लिया गया है।

1.7 आभार एवं सीमाएं

लेखापरीक्षा, इस लेखापरीक्षा संचालन के दौरान कार्यान्वयन विभागों और उनकी इकाइयों द्वारा प्रदान किए गए सहयोग और सहायता को स्वीकार करता है। हालांकि, यह देखा गया कि परीक्षण की गई इकाइयों द्वारा सभी वांछित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए, जैसा कि नीचे की कंडिका में उल्लेखित है।

1.8 अभिलेखों का अप्रस्तुतीकरण

लेखापरीक्षा के दौरान, परीक्षण के लिए चुनी गई इकाइयों में सभी आवश्यक दस्तावेज/जानकारी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई। अभिलेख प्रस्तुत न किए जाने में निम्नलिखित शामिल थेः

- छः[11] नमूना जांचित ग्राम पंचायतों में 23 योजनाओं की मापी पुस्तिकायें वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समितियों द्वारा प्रस्तुत नहीं की गईं।
- चार ग्राम पंचायतों की 35 वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समितियों द्वारा ₹ 5.35 करोड़ के व्यय के समर्थन में कोई अभिश्रव लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया ***(परिशिष्ट–1.1)***।

---

[9] *औरंगाबाद, भागलपुर, दरभंगा, गया, गोपालगंज, जमुई, कटिहार, खगड़िया, मधुबनी, सारण, सुपौल और पश्चिम चंपारण।*

[10] *लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों की संख्याः 15; ग्राम पंचायतों की संख्याः 35 और शहरी स्थानीय निकायों की संख्या 12।*

[11] *अमीलोना (वार्ड सं. 1, 2, 5, 6, 8, 9, 12), महुआन (वार्ड सं. 1, 2, 4A, 4B, 5, 7, 10, 11, 12, 13), बैरोल (वार्ड सं. 10), ननुआरा (वार्ड सं. 14), सुगापट्टी (वार्ड सं. 4, 8, 10, 14), कालापट्टी (वार्ड सं. 17)।*

- पाँच नमूना जांचित ग्राम पंचायतों की 11[12] वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समितियों ने लेखापरीक्षा को कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया, जिन्हें इन ग्राम पंचायतों द्वारा ₹1.47 करोड़ स्थानांतरित किए गए थे।

- छः[13] लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों ने संबंधित योजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किए। लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सुपौल ने 43 योजनाओं ***(परिशिष्ट–1.2)*** के संबंध में मापी पुस्त प्रस्तुत नहीं किए, जबकि लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मधुबनी 12[14] मापी पुस्त प्रस्तुत करने में विफल रहे।

- पाँच[15] नमूना जांचित शहरी स्थानीय निकायों द्वारा की गई आधारभूत सर्वेक्षण से संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए। इसके अलावा, नगर परिषद झाझा द्वारा 12[16] योजनाओं के क्रियान्वयन के अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए।

- नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) उपकरणों की स्थापना से संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं की गईं।

---

[12] *अमीलोना (वार्ड सं. 1, 2, 5, 8), महुआन (वार्ड सं. 5, 10, 12), ननुआरा (वार्ड सं. 14), सुगापट्टी (वार्ड सं. 8, 14), कालापट्टी (वार्ड सं. 17)।*

[13] *भागलपुर पूर्वी, भागलपुर पश्चिमी, गोपालगंज, जमुई, कटिहार और सुपौल (772 एकरारनामा में से केवल वर्ष 2019–20 का एकरारनामा सं. एसबीडी–88, 89 और 90 का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन)।*

[14] *एकरारनामा सं. (वर्ष 2018–19 की एफ2– 24, 26 और वर्ष 2019–20 की एफ2 10 और 11 और वर्ष 2019–20 की एसबीडी (31, 46, 60, 5, 8, 21, 22 और 28)।*

[15] *बेनीपुर, झंझारपुर, रिविलगंज, टेकारी और झाझा।*

[16] *योजना सं. 02/18–19, 08/20–21, 09/20–21, 10/20–21, 53/19–20, 57/19–20, 35/17–18, 37/20–21, 38/20–21, 54/19–20, 06/20–21 और 49/19–20।*